

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

**EBC, DNT एवं मुख्यमंत्री सर्वजन
उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना हेतु ऑनलाइन
आवेदन पत्र आमंत्रित**

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), धुमन्तु, अर्द्धधुमन्तु एवं विमुक्त जाति (DNT's) एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में (IIT, IIM, MNIT) वर्ष 2014-15 में राज्य के मान्यता प्राप्त/संबद्धता प्राप्त/राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल के लिए छात्रवृत्ति वेबपोर्टल rajpms.nic.in पर (09 मार्च से 31 मार्च, 2015 तक) पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र लॉक करने एवं शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र लॉक कर जिला कार्यालय में ऑन लाइन फारवर्ड करने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की गई हैं। अतः विद्यार्थी एवं राजकीय, निजी तथा स्वायत्तशासी मान्यता प्राप्त तथा राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित तिथियों के अनुरूप उल्लेखित छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित अंतिम तिथि
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि।	09 मार्च, 2015
2.	आवेदक द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन पत्र लॉक करने की अंतिम तिथि।	20 मार्च, 2015
3.	संस्था को विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र लॉक कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन फारवर्ड करना।	24 मार्च, 2015
4.	संस्था से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर, ऑनलाइन बिल तैयार करवाकर, बजट मद अंकित करवाकर ट्रेजरी भिजवाना तथा ट्रेजरी से पारितशुदा बिलों की समस्त राशि विद्यार्थियों के खातों में हस्तान्तरित करवाना।	31 मार्च, 2015

आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट
http://www.sje.rajasthan.gov.in/misc/dnt_pms.pdf,
www.sje.rajasthan.gov.in/misc/hredu_pms.pdf
एवं <http://rajpms.nic.in> पर उपलब्ध है।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक